

सेवा में,  
श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर


विषय :- ईडीएस नम्बर F14 (Road) 2017/FC/N/PCCF/CCFEDS-I Jaipur-date 14-06-2019 के  
क्रम में।

सड़क का नाम :- नाल (सोमावत) से डूंगरा, प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/20390/2016  
दिनांक 07.07.2017

आपके द्वारा ईडीएस में लगाये गये आक्षेप के नियमानुसार पूर्ति की जा रही है

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में प्रस्तुत प्रस्तावित सड़क में वन सीमा का सीमांकन कर दिया गया है किन्तु KML file का क्षेत्र (0.8090), (0.6195) आवेदित वन क्षेत्र के पॉलीगॉन (0.81), (0.8196) के अनुरूप नहीं है। संशोधित KML file संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	आक्षेप संख्या 1 के बिन्दु संख्या 2 में आवेदित क्षेत्र के अनुरूप पॉलीगन के संशोधित केएमएल फाईल संलग्न कर दी गई है।
2	बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में संलग्न की गई एरिया कैल्कुलेशन शीट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल का याग 1.6296 हे. है जबकि 1.63 हे. अंकित किया गया है जिसे सही किया जाना प्रस्तावित है।	आक्षेप संख्या 2 में बिन्दु संख्या 3 की पालना में आवेदित क्षेत्रफल 1.6300 हे. है जो कि कैल्कुलेशन शीट के क्षेत्रफल 1.6299 के राउण्ड ऑफ अनुसार 1.63 दो दशमलव तक अंकित किया गया है।
3	बिन्दु संख्या 11 की पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा दो क्रॉस सेक्शन 6 मी. एवं 6.5 मीटर संलग्न किया गया है। जबकि प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 6 मीटर रखी गई है। इसके अतिरिक्त इसी डिविजन के अन्य प्रस्ताव में सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर रखी गई है तो इस प्रस्ताव में 6 मीटर चौड़ाई किस आधार पर रखी गई है कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	आक्षेप संख्या 3 के बिन्दु संख्या 11 की पालना में आवेदित क्षेत्र में रोड चौड़ाई 6 मीटर प्रस्तावित है एसवॉ 6 मीटर ही तदनुरूप केएमएल फाईल रखी गई है अन्य क्षेत्र में उपलब्धता के अनुरूप तय मॉडल के मुताबिक 7.5 मीटर भी रखी जाती है जो कि गाईड लाईन के अनुरूप है।

4	बिन्दु संख्या 12 की पालना के क्रम में जमाबन्दी संलग्न कर दी गई है किन्तु राजस्व मेप पर अंकन कर मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है।	आक्षेप संख्या 4 में बिन्दु संख्या 12 की पालना में राजस्व मेप पर रोड अंकन कर प्रस्तुत किया गया है।
5	बिन्दु संख्या 16 की पालना अपूर्ण। उपवन संरक्षक द्वारा पार्ट-11 में इकोक्लास का संशोधन कर दिया गया है किन्तु प्रस्ताव में कोई वृक्ष का आना अंकित नहीं है तो छत्र घनत्व 0.3 किस प्रकार हो सकता है संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	उपवन संरक्षक उदयपुर से सम्बन्धित है।
6	बिन्दु संख्या 18 की पालना के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दी गई है किन्तु वर्तमान श्रमिक दर के मॉडल (164100.00) के अनुरूप नहीं है।	उपवन संरक्षक उदयपुर से सम्बन्धित है।

  
 डी.एन.सिंह  
 सहायक अभियन्ता  
 सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव